कार्यालय–प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर

विकासखंड – पण्डरिया, जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

Email – kuikukdurcollege@gmail.com Mo. Number – 9406115233, 8319149176

क्रमांक 182 / स्था. / 2024 कुई–कुकदुर , दिनांक – 15.07.2024

विज्ञापन
अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक व्यवस्थापन हेतु

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी– 3 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 574 / 126. / आउशि / राज.स्था. / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.07.2024 तथा छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 3 – 54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 एवं क्रमांक 77 / नि.स. / स. / उ.शि. / 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई–कुकदुर में अतिथि व्याख्याता नीति – 2024 के अनुसार तालिका में वर्णित रिक्त सहायक प्राध्यापक के पदों के विरूद्ध निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करते हुए पूरित आवेदन पत्र के साथ **अंतिम तिथि दिनांक 25.07.2024 को सायं 05:30 बजे** तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय	सहायक प्राध्यापक का रिक्त पद	अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के लिए कुल रिक्त पद
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई–कुकदुर	वनस्पतिशास्त्र	01	01
2		प्राणीशास्त्र	01	01
3		भूगोल	01	01
4		राजनीतिशास्त्र	01	01
5		समाजशास्त्र	01	01
6		अंग्रेजी	01	01
7		वाणिज्य	02	02

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख – रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम , 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. **आयु सीमा** :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच. डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 25.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 26.07.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालय का वेबसाईट नहीं होने के कारण जिले के अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईट पर विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 30.07.2024 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 31.07.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40– 50 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40– 50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/–	350/–
4	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक /क्रीड़ा अधिकारी सहायक
	दैनिक मानेदय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यलाय कुई–कुकदुर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन /महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिक्ति कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम , क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त ही जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

(डॉ.ए.सी. वर्मा)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर
तह0 पण्डरिया, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 183 / स्था. / 2024 कुई–कुकदुर, दिनांक – 15.07.2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी– 3 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन अटन नगर , नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, दुर्ग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर, दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला – कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ कि इस विज्ञापन को अपने महाविद्यालय के वेबसाईट में प्रकाशित करेंगे ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, जिला कार्यालय कवर्धा, जिला – कबीरधाम (छ.ग.) को अपने स्तर पर जन सहयोग कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।

(डॉ.ए.सी. वर्मा)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर
तह0 पण्डरिया, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)